**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

एफ 27(5)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई/लक्ष्य–।।/2016–17 जयपुर, दिनांक : 07 जुलाई, 2017

**जिला कलक्टर,**
**समस्त, राजस्थान।**

**विषय :–** प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु जिलेवार/वर्गवार आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी करने बाबत।
**प्रसंग :–** समसंख्यक पत्र दिनांक 02.01.2017 एवं 25.07.2016।

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के सकलित लक्ष्य 431217 के अनुसार तत्समय वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 के लक्ष्यों को मिलाकर वर्ष 2016–17 हेतु 431217 जिलों को वर्गवार आवंटित किये गये थे। जिस क्रम में जिस क्रम में 459811 लाभार्थियों का पंजीकरण कर 306319 जीओ टैगिग कर वर्ष 2016–17 के आवंटित लक्ष्यानुसार 250258 की स्वीकृतियॉ जारी हो चुकी हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 08 मार्च 2017 के अनुसार राज्य को वर्ष 2017–18 हेतु 223629 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन का फ्रेमवर्क के बिन्दु संख्या 3.4 में पंचायत समितिवार व ग्राम पंचायतवार लक्ष्यो का निर्धारण किये जाने का प्रावधान वर्णित है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लक्ष्यों को एक वर्ग के सेचुरेशन पर परस्पर वर्ग में बदलना अनुमत है। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा, वर्ष 2017–18 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के क्रम में आवश्यक दिशा–निर्देश एवं विभागीय पत्र दिनांक 25.07.2016 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उक्तानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से राज्य को वर्ष 2017–18 हेतु आवंटित लक्ष्य 223629 के अनुसार संलग्न जिलेवार, वर्गवार लक्ष्य आवंटित किये जाते है।

उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत अधिकतम 12 माह में आवास पूर्ण कराये जाने का प्रावधान है। अतः राज्य की प्रगति के परिपेक्ष्य वर्ष 2016–17 में स्वीकृत आवासों की पूर्णताः एवं वर्ष 2017–18 में आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृतियों में किसी जिले की प्रगति धीमी/असन्तोषजनक होने पर कम प्रगति वाले जिलों के लक्ष्य अच्छी प्रगति अर्जित करने वाले जिलों को आवंटित कर दिये जावेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

7.7.2017
**(सुदर्शन सेठी)**
**अति. मुख्य सचिव**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, सयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एंव आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा।
10. निजी सचिव, आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान।
11. निदेशक (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
12. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान ।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

**अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि**

| | Districtwise Target 2017-18 under PMAY-G | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sr no. | District | Min | SC | ST | Others | Total |
| 1 | AJMER | 116 | 875 | 355 | 2160 | 3506 |
| 2 | ALWAR | 383 | 569 | 194 | 1061 | 2207 |
| 3 | BANSWARA | 239 | 647 | 11771 | 1000 | 13657 |
| 4 | BARAN | 173 | 1392 | 1623 | 2917 | 6105 |
| 5 | BARMER | 3192 | 3801 | 2333 | 9765 | 19091 |
| 6 | BHARATPUR | 853 | 866 | 54 | 1127 | 2900 |
| 7 | BHILWARA | 451 | 751 | 1653 | 2959 | 5814 |
| 8 | BIKANER | 363 | 4891 | 629 | 3133 | 9016 |
| 9 | BUNDI | 94 | 2452 | 2505 | 4505 | 9556 |
| 10 | CHITTORGARH | 199 | 276 | 932 | 1118 | 2525 |
| 11 | CHURU | 431 | 1190 | 640 | 2855 | 5116 |
| 12 | DAUSA | 122 | 1617 | 1994 | 2508 | 6241 |
| 13 | DHOLPUR | 189 | 355 | 205 | 1415 | 2164 |
| 14 | DUNGARPUR | 7 | 944 | 13484 | 914 | 15349 |
| 15 | HANUMANGARH | 45 | 2092 | 294 | 1406 | 3837 |
| 16 | JAIPUR | 69 | 770 | 525 | 1820 | 3184 |
| 17 | JAISALMER | 1494 | 244 | 51 | 1272 | 3061 |
| 18 | JALORE | 292 | 827 | 2495 | 3358 | 6972 |
| 19 | JHALAWAR | 440 | 771 | 1879 | 3635 | 6725 |
| 20 | JHUNJHUNU | 14 | 180 | 40 | 262 | 496 |
| 21 | JODHPUR | 1090 | 5546 | 899 | 1277 | 8812 |
| 22 | KARAULI | 167 | 1594 | 1241 | 2549 | 5551 |
| 23 | KOTA | 114 | 157 | 1138 | 1174 | 2583 |
| 24 | NAGAUR | 260 | 2654 | 0 | 3323 | 6237 |
| 25 | PALI | 519 | 402 | 805 | 449 | 2175 |
| 26 | PRATAPGARH | 100 | 462 | 10295 | 1290 | 12147 |
| 27 | RAJSAMAND | 0 | 535 | 1658 | 2839 | 5032 |
| 28 | SAWAI MADHOPUR | 355 | 1309 | 1867 | 1393 | 4924 |
| 29 | SIKAR | 22 | 336 | 45 | 507 | 910 |
| 30 | SIROHI | 22 | 1764 | 6022 | 2370 | 10178 |
| 31 | SRI GANGANAGAR | 383 | 5834 | 247 | 1147 | 7611 |
| 32 | TONK | 150 | 1107 | 650 | 1984 | 3891 |
| 33 | UDAIPUR | 191 | 707 | 20929 | 4229 | 26056 |
| 34 | Total | 12539 | 47917 | 89452 | 73721 | 223629 |

**Minutes of Meeting of the Empowered Committee to Appraise and Approve Annual Action Plan of the State of Rajasthan under Pradhan Mantri AwaasYojana-Gramin for FY 2017-18**

A meeting of the Empowered Committee for approval of the Annual Action Plan for the State of Rajasthan for FY 2017-18 under Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin was held on 08.03.2017 at 11:00 a.m. in Krishi Bhawan, New Delhi.

The State of Rajasthan made a power point presentation of their annual action plan before the Empowered Committee. Based on the presentation of the State of Rajasthan, the Empowered Committee accorded approval to the State's Annual Action Plan for the year 2017-18 with the following observations:-

1) The target for the State of Rajasthan for FY 2017-18 will provisionally be 2,23,629 houses.
2) The State has successfully completed the mapping of SECC villages to PMAY-G GPs in AwaasSoft and concluded the exercise of verification of priority lists and the appellate process thereon. The State to ensure that the Permanent Waitlist of 16.62 lakh households is entered in AwaasSoft by April, 2017.
3) The State apprised that necessary instruction have been issued to provide house sites to landless households belonging to the permanent waitlist. Special campaign is planned to allot patta to landless beneficiaries in April, 2017.
4) Additional targets of 63,164 houses have been allocated to the State in FY 2016-17. The district-wise/ category-wise distribution of additional targets has been entered on AwaasSoft.
5) The State to ensure that the process of registration and geo tagging of all households on the permanent waitlist and sanctioning of beneficiaries against targets communicated in FY 2016-17 will be completed by April, 2017.
6) Saturation of GPs identified under SAGY, ODF villages, villages with strong SHGs under DAY-NRLM and RURBAN Clusters to be completed by March, 2018.

7) The State to release matching State share against Central releases in FY 2016-17 at the earliest and enter the same on AwaasSoft. The State to ensure availability of adequate resources for meeting matching share for provisional targets in FY 2017-18.
8) The State to furnish certificate of deposition of all IAY scheme funds lying in district and block or Gram Panchayat accounts to the Ministry by 30th April, 2017.
9) The State submitted that the proposal for PMU is under consideration in Finance Department. In view of the immensity of targets to be delivered by the State under 'Housing For All', it is pertinent that well staffed PMUs be constituted at all levels. The State is advised to expedite the process of seeking approval for constitution of PMU. D.O. letter by SRD to Chief Secretary to facilitate the same.
10) The State has informed that pilot mason training has been conducted in Bhilwara district Identification of training providers and masons to be trained is under process. District-wise targets of training 8,000 rural masons have been allotted. The State may submit a proposal to the Ministry if gap funding is required for upscaling of mason training with necessary documents viz utilization certificate (UC) for funds released by the Ministry for pilot training and UC for administrative funds expended in FY 2016-17 to verify requirement for gap funding. State to give a larger role to SIRD for imparting mason training.
11) The State to expedite Aadhaar seeding of all beneficiaries registered on AwaasSoft.
12) The State has incorporated house design typologies into the Bill of Quantities and Schedule of Rates. The State may take up construction of demonstration houses to popularize the typologies and the catalogue of design typologies may be shared with the Ministry for documentation.
13) Proposal for pending liability under IAY to be submitted to the Ministry at the earliest.
14) All pending IAY houses to be completed and entered on AwaasSoft by April, 2017.
15) The State has ensured to take various IEC activities regarding orientation/sensitization of PMAY-G beneficiaries and other stakeholders.
16) The State to fast track the process of engaging a State Technical Support agency (STSA) for providing requisite technical support and facilitation at the State level. It is suggested that the State may also engage Regional engineering colleges or Polytechnics to provide technical assistance to district authorities.

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)**

क्रमांक 27(5) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/लक्ष्य–II/2016–17 जयपुर, दि02 जनवरी, 2017

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद (ग्राविप्र) समस्त,**
**राजस्थान।**

**विषय :–** प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु जिलेवार/वर्गवार लक्ष्य आवंटन के सम्बन्ध में।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 के लक्ष्य **क्रमशः** 187094 व 244448 आवंटित किये गये है तदनुसार विभागीय पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2016 द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु 10 प्रतिशत लक्ष्य बढाते हुए जिलों को वर्ष 2016–17 हेतु 205803 के लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करने हेतु आवंटित किये गये थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लक्ष्यानुसार भौतिक व वित्तीय प्रगति प्राप्त नहीं करने की दशा में राज्य के लक्ष्य अन्य राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने बाबत् अवगत कराया है।

अतः राज्य को प्राप्त भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति की सुनिश्चिता के मध्यनजर जिलों को संलग्न सूची के अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु 431217 के संशोधित लक्ष्य आवंटित किये जाकर निर्देश है कि संशोधित लक्ष्यानुसार पंजीयन 15 जनवरी, 2016 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें। राज्य की शत प्रतिशत प्रगति के अभाव में होने वाली लक्ष्यों की कटौति हेतु जिले में कार्यरत अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

यहां विशेष उल्लेख है कि जिलों द्वारा धीमी प्रगति के मध्यनजर अन्य जिले जिनके द्वारा पहले प्रगति अर्जित कर ली जावेगी, उन जिलों को आवाससॉफ्ट पर अर्जित प्रगति के अनुसार अतिरिक्त लक्ष्य कम प्रगति वाले जिलों से आवंटित कर दिये जावेगें। जिलों के लक्ष्यों की कटौति हेतु सम्बन्धित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला आवास प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

2.1.17
**(राजीव सिंह ठाकुर)**
**शासन सचिव,ग्राविं**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविं एवं पंराविं।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविं एवं पंराविं।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
9. परि. निदेशक एवं पदेन उपसचिव (एसएपी/मो. एवं मू.),ग्रामीण विकास को बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. जिला प्रभारी अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को जिले में भ्रमण के दौरान समीक्षा बाबत्।
11. अधिशाषी अभियंता (अभि.)/नरेगा, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)**

MOST-URGENT

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

क्रमांक 27(5) ग्रांविवि/ग्रुप–5/प्र.म.आ.यो–ग्रा./लक्ष्य–2/2016–17 जयपुर, दिनांकः 25 जुलाई, 2016

**समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद (ग्राविप्र), राजस्थान।**

**विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लक्ष्य आवंटन बाबत्।**

**प्रसंग :–** सम संख्यक पत्र दिनांक **13.07.2016**

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रासगिक पत्र द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु जिलेवार, वर्गवार लक्ष्य आंवटित किये गये है। इस कम में जिला परिषद द्वारा जिले को आवंटित लक्ष्यों को SECC-2011 के आधार पर ग्राम पंचायतवार तैयार अन्तिम वरीयता सूची के आधार पर पंचायत समितिवार व वर्गवार आवंटन किया जावे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की PRC बैठक दि. 15.07.2016 में योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटन हेतु निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1 ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वार्षिक वरीयता सूचि का वृहद रूप से प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं दीवार लेखन के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावें। इस हेतु प्रशासनिक व्यय मद से राशि व्यय की जावे।

2 सांसद आदर्श ग्राम योजना, Rurban कलस्टर एवं राजीविका (NRLM) के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जावें अर्थात् जिन ग्राम पंचायतों में उक्त योजाएं संचालित है को प्राथमिकता देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को कच्चे आवास/आवासहीनता से मुक्त कर सभी को पक्के आवास उपलब्ध करवा दिये जावें।

3 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत ODF घोषित ग्राम पंचायतों को भी उपरोक्तानुसार लक्ष्य आवंटन में प्राथमिकता दी जावें।

4 उक्त दोनों के अतिरिक्त आवासहीन परिवार, झुग्गी झोपडियों/तिरपाल के नीचे रहने वाले परिवार, सिर पर मैला ढोने वाले परिवार, पीवीटीजी परिवार एवं विमुक्त बंधुआ मजदूरों की गणना कर लक्ष्य आवंटन में प्राथमिकता दी जावें।

5 इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों/प्रावधानों की तरह ही प्रत्येक वर्ग में 3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को लक्ष्य आवंटन में प्राथमिकता दी जावें।

6 आवासहीन परिवार जिनके पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है को भी आवासीय भू–खण्ड उपलब्ध नहीं होने के उपरान्त भी पात्र लाभार्थियों की आवास स्वीकृति आवश्यक रूप से जारी की जावें। साथ ही नियमानुसार आवासीय भू–खण्ड उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावें। (अर्थात् वरीयता सूची अनुसार ऐसे प्रथम प्राथमिकता वाले भूमिहीन परिवारों को वंचित कर अन्य को आवास आवंटित नहीं किया जावें।)

उक्तानुसार परिवारों को प्राथमिकता से लक्ष्य आवंटन के उपरान्त जिले को आवंटित लक्ष्यों में से शेष लक्ष्यों को पंचायत समिति/ग्राम पंचायतवार उपलब्ध आवासहीन परिवारों को आवंटन उपरान्त एक कमरा कच्चा आवास परिवारों हेतु लक्ष्य आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार।**

25/7/16

**(राजीव सिंह ठाकुर)**
**शासन सचिव, ग्रांवि**